

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि सं०- ग्रा.वि.-15/स्वच्छता 02-05/2018 ३७९०५१ पटना, दिनांक १३/७/२०१८

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र सफाई सुनिश्चित करने एवं पशु गोबर तथा ठोस कृषि अपशिष्ट को मुल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तन करके जैविक खाद एवं वायोगैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोबर-धन योजना प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जीवन- स्तर में सुधार होगा तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।


2. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के निदेशानुसार गोबर-धन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय (STAC) राज्य तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाना है जिनकी मुख्य जिम्मेवारियाँ निम्नवत् है :-

- a) राज्य मिशन को तकनीकी सलाह प्रदान करना ।
- b) बहु क्षेत्रीय आयाम पर सलाह प्रदान करना एवं
- c) प्राप्त परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित करना ।

3. मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (STAC), के पदेन अध्यक्ष होंगे। इस समिति के अन्य सदस्यगण निम्वत् होंगे :-

- i. कृषि विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
- ii. पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
- iii. पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
- iv. राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - सदस्य
- v. UNICEF के प्रतिनिधि - सदस्य
- vi. राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था / NGO के प्रतिनिधि - सदस्य
- vii. राज्य सलाहकार, SLWM, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान - सदस्य सचिव

4. समिति की बैठक आवश्यकतानुसार समय-समय पर कंडिका-2 में वर्णित कार्यों के संबंध में आवश्यक विचारण हेतु की जा जाएगी।


  
13/7/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ३७९०५१ पटना, दिनांक १३/७/२०१८

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, कृषि विभाग / प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग / सचिव, पशुपालन विभाग / राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / UNICEF के प्रतिनिधि, राज्य सलाहकार, SLWM, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13/7/2018

सरकार के सचिव